राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004

फोन नं. 0141–2708824, 2711070

फैक्स नं. 0141–2701367, वेब साईटः www.uniraj.ac.in

क्रमांकः उ.कु./गोप. प्रथम/2021/ दिनांकः

सम्बन्धित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष,
संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय/विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर।

विषयः सत्र 2020–21 की सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षाओं हेतु दिशा–निर्देश।

संदर्भः राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के पत्र क्रमांक प.18 (2)/शिक्षा–4/2019 पार्ट दिनांक 04.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत/संदर्भित पत्र के द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 17.03.2021 की अनुपालना में कोविड–19 के प्रभावस्वरूप विश्वविद्यालय की सत्र 2020–21 की सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षायें निम्नानुसार आयोजित करवायी जावेंगीः–

1. कोविड–19 के प्रभावस्वरूप छात्र एवं संकाय के हित को ध्यान में रखते हुये जिन प्रश्न–पत्रों की समयावधि पाठ्यक्रमानुसार 3 घण्टे निर्धारित है, के स्थान पर 2 घण्टे की समयावधि निर्धारित की जाती है तथा छात्रों को दिये गये प्रश्न–पत्र में विकल्प जैसेः– अथवा/or एंव इकाई (Unit) के अनुसार प्रश्नों को हल करने की बाध्यता नहीं होगी किन्तु यदि कोई प्रश्न भागों में विभाजित है तो उसे पूर्ण हल करना होगा। छात्रों को प्रत्येक प्रश्न–पत्र में से कुल पूर्णाकों के 60 प्रतिशत अंको के प्रश्नों को ही हल करना होगा। छात्र द्वारा उक्त निर्धारित अंक सीमा से अधिक प्रश्नों को हल करने पर अतिरिक्त प्रश्नों के हल को स्वीकार नहीं किया जाऐगा। ऐसी स्थिति में छात्र द्वारा उत्तरपुस्तिका में हल किये गये सर्वोत्तम प्रश्नों को ही निर्धारित अंक सीमा तक स्वीकार किया जाऐगा। परीक्षक द्वारा मूल्यांकित किये गये 60 प्रतिशत प्रश्नों के अंको को 100 प्रतिशत में परिवर्तित करते हुये विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया जावेगा।

उदाहरणार्थ

अधिकतम अंक सीमा	संशोधित 60 प्रतिशत अंक सीमा
100 अंक	60 अंक
80 अंक	48 अंक
50 अंक	30 अंक

2. जिन प्रश्न–पत्रों की समयावधि पाठ्यक्रमानुसार 1½ एंव 2 घण्टे निर्धारित हैं, उन प्रश्न–पत्रों को छात्रों द्वारा हल करने की समयावधि भी 1½ एंव 2 घण्टे यथावत रहेगी एवं छात्रों को पूर्व वर्षों की भांति कुल पूर्णांकों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रश्न–पत्र में विकल्प जैसेः– अथवा/or एंव इकाई (Unit) के अनुसार प्रश्नों को हल करने की बाध्यता नहीं होगी किन्तु यदि कोई प्रश्न भागों में विभाजित होगा तो उसे भी पूर्ण हल करना होगा।
   उदाहरणार्थ :– 1½ एंव 2 घण्टे के प्रश्न पत्रों की अधिकतम अंक सीमा 100, 80, 60, 50 एंव 40 निर्धारित है उन प्रश्न पत्रों को पूर्ण हल करना है उनके अंकों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।
3. कोविड–19 के प्रभावस्परूप सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समय–समय पर जारी एडवाइजरी एवं समस्त दिशा–निर्देशों की पालना, यथा मास्क एवं सेनेटाइजर का उपयोग सामाजिक दूरी एवं परीक्षा केन्द्र को सेनेटाइज करवाना आदि की पूर्णतः पालना सुनिश्चित करेंगे।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये परीक्षायें सम्पन्न कराई जावे।

भवदीय,

sd/-

परीक्षा नियंत्रक

क्रमांकः उ.कु./गोप. प्रथम/2021/ 78 30 75–77 दिनांकः 18/03/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–
1. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म।

18.3.2021

उप–कुलसचिव (गोपनीय)